न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 270/2019

तारीख दायर 26.07.2019

तारीख फैसला 11/03/2020

उनवान

01. कमला देवी पत्नी श्री धर्मवीर जाति अहीर निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. सरितादेवी पत्नी श्री बलराम जाति अहीर निवासी कन्हई तहसील व जिला गुडगावां (हरियाणा)
03. रवि यादव पुत्र बाबूलाल यादव पुत्र श्री छाजूराम जाति अहीर साकिन नाहरपुर कासन तहसील मानेसर जिला गुडगावां (हरियाणा)

-----:: वादीगण

बनाम

01. शिवचरण
02. कैलाश
03. महावीर पुत्रान पोखरमल जाति ब्राहमण निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
04. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तिजारा जिला अलवर (राज0) बहैसियत भूमिधारी अधिकारी तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 124 रकबा 1.06 है0, 125 रकबा 0.57 है0, 126 रकबा 0.61 है0, 127 रकबा 0.46 है0, 128 रकबा 0.68 है0, 129 रकबा 0.05 है0, 130 रकबा 0.71 है0, 131 रकबा 0.47 है0, 132 रकबा 0.91 है0, 133 रकबा 0.58 है0, 134 रकबा 0.25 है0 कुल किता 11 कुल क्षैत्रफल 6.35 है0 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में स्थित है। विवादित आराजी में पूर्व खातेदार दामोदरलाल, औमप्रकाश पित्र मुन्नीलाल का सं.भा. 1/2 भाग हिस्सा निहित रहा है। जिसको वादीगण ने जरिये रजि0 बयनामा खरीद कर लिया है। मिन वादीयां संख्या 1 के नाम जरिये इंतकाल सं0 5625 दिनांक 14.10.2015 को 1/6 हिस्से व मिन वादीयां सं0 2 के नाम 1/12 हिस्से तथा जरिये इंतकाल सं0 5626 दिनांक 14.10.2015 को मिन वादी संख्या 3 के नाम 1/4 भाग का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामा हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 भाग है। विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी हैं। आराजी राजस्व रिकार्ड में शामलात दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का आपस में मौखिक तौर पर बंटवारा हो चुका है। बंटवारों के अनुसार वादीगण हाल आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 0.71 है0, 131 रकबा 0.47 है0, 132 रकबा 0.91 है0, 133 रकबा 0.58 है0, 134 रकबा 0.25 है0 व 127 रकबा 0.47 है0 का

[illegible]

[illegible] प्रतिवादीगण को [illegible] दिया जाकर [illegible]

[illegible] प्रतिवादी संख्या 4 ने [illegible] नहीं किया। [illegible]

वाद में दिनांक 16.11.[illegible] को प्रारंभिक डिक्री जारी कर तहसीलदार [illegible] को [illegible] रिपोर्ट प्रेषित करने को आदेशित किया गया। तहसीलदार [illegible] ने पत्र क्रमांक एल.आर./2020/[illegible] दिनांक [illegible] रिपोर्ट [illegible] रिपोर्ट पर वादी को सुना गया। [illegible] रिपोर्ट अनुसार [illegible] फाईनल डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। इस प्रकार वाद फाईनल डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी फाईनल डिक्री किया जाकर निम्नलिखित आराजी [illegible] खसरा नम्बर [illegible] 126 रकबा 0.57 हे0, 129 रकबा 0.61 हे0, [illegible] रकबा 0.71 हे0, 131 रकबा 0.47 हे0, [illegible] 11 कुल क्षेत्रफल 0.36 हे0 वाके ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला अलवर (राज0) का विभाजन [illegible] किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] में अमल हो।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	कमला देवी पत्नी [illegible] अहीर [illegible] 1/3 हि0 [illegible] पत्नी [illegible] तहसील व जिला [illegible] 1/6 हि0 [illegible] पुत्र [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] 1/2 हि0 अहीर खातेदारान	127/1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		130	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		131	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		132	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		133	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		134	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		किता 6	[illegible]		[illegible]

	[illegible] सा0 देह खातेदार		1.06	चाही सोयम	12.56
		125	0.57	चाही सोयम	6.75
		126	0.61	जाव सोयम	3.66
		127/2	0.23	जाव सोयम	1.38
		128	0.68	चाही सोयम	8.06
		किता 2	3.15 है.		32.41

तकसीम शुद्दा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। पर्चा डिकी जारी हो।
आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)